



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052026-272871  
CG-DL-E-26052026-272871

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2542]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2026/ज्येष्ठ 4, 1948

No. 2542]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2026/JYAISTHA 4, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 2634(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3357 (अ) तारीख 21 जुलाई 2025, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 22 जुलाई 2025, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेल पदार्थ परिवहन के Anklav#29 TO Anklav#26 (4"&8"Flow Pipeline), Anklav#29 TO Anklav#13 (4"Flow Pipeline), Padra#49 TO Padra#215 (8"Flow Pipeline) P#65 TO P#40 (8" Flow Pipeline) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 21 सितंबर 2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

### अनुसूची

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
<b>Anklav#29 TO Anklav#26 (4"&amp;8"Flow Pipeline)</b>					
तालुका: बोरसद		जिला: आणंद	राज्य: गुजरात		
1	वालवोड	1224	00	07	48
		1225	00	06	78
		1182/2	00	08	19
		1226/2	00	06	72
		सर्वे.नं. 1226/2 और 1182/1 के बीच में फील्ड चैनल	00	01	72
		1182/1	00	02	18
		1226/1	00	00	53
		सर्वे.नं. 1226/1 और 1167 के बीच में-अस्फालटेड रोड	00	01	92
		1167	00	09	60
		1166	00	22	42
		सर्वे.नं. 1166 और 1156 के बीच में गाडामार्ग	00	01	17
		1156	00	12	34
		1155	00	17	63
		1146	00	14	40
		1145	00	08	45
		1144	00	07	64
		1141	00	18	78
		1128	00	08	54
		1129	00	10	47
		1063	00	10	40
		1131	00	00	40
		1062	00	05	17
		1061	00	00	40

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
2	खेडासा	95	00	00	60
<b>Anklav#29 TO Anklav#13 (4"Flow Pipeline)</b>					
तालुका: बोरसद		जिला: आणंद		राज्य: गुजरात	
1	वालवोड	1224	00	08	57
		1223	00	05	92
		1184	00	07	04
		1188	00	10	95
		1189	00	07	93
		1190	00	05	13
		1191/2	00	07	94
		1215	00	03	60
		सर्वे.नं.1215 और 1191/1 के बीच में फील्ड चैनल	00	01	33
		1191/1	00	18	38
		1195	00	03	90
		1213	00	08	01
		1210	00	11	31
		1209	00	10	15
		1207	00	09	31
		1202	00	16	18
		1203	00	02	01
		1206	00	12	12
		सर्वे.नं.1206 और 1309 के बीच में गाडामार्ग	00	01	27
		1309	00	00	40
		1310	00	16	84
		1313	00	09	31
		1292	00	00	80
		1288/अ	00	09	15
		1288/ब			
		1289	00	06	92
		1290/अ	00	04	95
		1290/ब			
		1287/अ	00	02	88
		1287/ब			

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
<b>Padra#49 TO Padra#215 (8"Flow Pipeline)</b>					
तालुका: पादरा		जिला: वडोदरा	राज्य: गुजरात		
1	महुवड	238	00	02	20
		239	00	05	13
		240	00	04	29
		242	00	04	29
		244	00	04	31
		885 – आर सी सी रोड	00	02	03
		243	00	10	82
		268	00	02	77
		269	00	02	61
		270	00	03	84
		264	00	02	13
		273	00	00	70
		276	00	00	50
		272	00	05	04
		277	00	05	00
		278	00	05	65
		317	00	05	14
		318	00	03	08
		316	00	05	86
		315	00	12	37
		314	00	04	35
		877 - आर सी सी रोड	00	01	19
		370	00	12	30
		436	00	07	43
		435	00	05	05
		432	00	00	89
		438	00	07	35
		437	00	08	00
		445	00	10	87
		894	00	02	02
		446	00	00	70
		904 - सरकारी एस एच-06	00	03	95
		850	00	10	43
		450	00	02	29
		444	00	00	70

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
<b>P#65 TO P#40 (8"Flow Pipeline)</b>					
तालुका: पादरा		जिला: बडोदरा	राज्य: गुजरात		
1	पिपली	448	00	01	26
		446	00	01	26
		445	00	01	26
2	रणु	948/1	00	03	43

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/31/2025-इएक्सपीएल-पीएनजी(ई-53627)]  
रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

**S.O. 2634(E).**— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3357 (E) Dated 21<sup>st</sup> July 2025, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 22<sup>nd</sup> July 2025, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Crude Oil/Gas/Water from Ankla# 29 TO Ankla#26 (4"&8"Flow Pipeline), Ankla#29 TO Ankla#13(4"Flow Pipeline), Padra# 49 TO Padra#215 (8"Flow Pipeline) P#65 TO P#40 (8"Flow Pipeline), should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to **21<sup>st</sup> September 2025**.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd, shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

## SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
<b>Anklav#29 TO Anklav#26 (4"&amp;8"Flow Pipeline)</b>					
<b>TALUKA: BORSAD</b>		<b>DISTRICT: ANAND</b>		<b>STATE: GUJARAT</b>	
1	VALVOD	1224	00	07	48
		1225	00	06	78
		1182/2	00	08	19
		1226/2	00	06	72
		In Bet. Suy. No. 1226/2 & 1182/1 Field Channel	00	01	72
		1182/1	00	02	18
		1226/1	00	00	53
		In Bet. Suy. No 1226/1 & 1167 –Asphalted Road	00	01	92
		1167	00	09	60
		1166	00	22	42
		In Bet. Suy. No 1166 & 1156 Cart - Track	00	01	17
		1156	00	12	34
		1155	00	17	63
		1146	00	14	40
		1145	00	08	45
		1144	00	07	64
		1141	00	18	78
		1128	00	08	54
		1129	00	10	47
		1063	00	10	40
		1131	00	00	40
		1062	00	05	17
		1061	00	00	40
2	KHEDASA	95	00	00	60
<b>Anklav#29 TO Anklav#13 (4"Flow Pipeline)</b>					
<b>TALUKA: BORSAD</b>		<b>DISTRICT: ANAND</b>		<b>STATE: GUJARAT</b>	
1	VALVOD	1224	00	08	57
		1223	00	05	92
		1184	00	07	04
		1188	00	10	95
		1189	00	07	93
		1190	00	05	13
		1191/2	00	07	94
		1215	00	03	60
		In Bet. Suy. 1215 & 1191/1 – Field channel	00	01	33
		1191/1	00	18	38
		1195	00	03	90
		1213	00	08	01
		1210	00	11	31
		1209	00	10	15
		1207	00	09	31
		1202	00	16	18
		1203	00	02	01
		1206	00	12	12
		In Bet. Suy. 1206 & 1309 Cart - Track	00	01	27
		1309	00	00	40
		1310	00	16	84
		1313	00	09	31
		1292	00	00	80
		1288/ A	00	09	15
		1288/ B			

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		1289	00	06	92
		1290/A } 1290/B }	00	04	95
		1287/A } 1287/B }	00	02	88
<b>Padra#49 TO Padra#215 (8"Flow Pipeline)</b>					
<b>TALUKA: PADRA</b>		<b>DISTRICT: VADODARA</b>		<b>STATE: GUJARAT</b>	
1	<b>MAHUVAD</b>	238	00	02	20
		239	00	05	13
		240	00	04	29
		242	00	04	29
		244	00	04	31
		885 – R C C Road	00	02	03
		243	00	10	82
		268	00	02	77
		269	00	02	61
		270	00	03	84
		264	00	02	13
		273	00	00	70
		276	00	00	50
		272	00	05	04
		277	00	05	00
		278	00	05	65
		317	00	05	14
		318	00	03	08
		316	00	05	86
		315	00	12	37
		314	00	04	35
		877 - R C C Road	00	01	19
		370	00	12	30
		436	00	07	43
		435	00	05	05
		432	00	00	89
		438	00	07	35
		437	00	08	00
		445	00	10	87
		894	00	02	02
		446	00	00	70
		904 Govt. land -S H -06	00	03	95
		850	00	10	43
		450	00	02	29
		444	00	00	70
<b>P#65 TO P#40 (8" FLOW Pipeline)</b>					
<b>TALUKA: PADRA</b>		<b>DISTRICT: VADODARA</b>		<b>STATE: GUJARAT</b>	
1	<b>PIPLI</b>	448	00	01	26
		446	00	01	26
		445	00	01	26
2	<b>RANU</b>	948/1	00	03	43

[F. No. Expl-13011(26)/31/2025-EXPL-PNG (E-53627)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.